विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुरशाह जफर मार्ग
नई दिल्ली – 110002

सं.एफ. 33–34/65 (सीपी/सीडी) भाग–IV 12 जुलाई, 1974

कुल सचिव

————————————————————

————————————————————

विषयः 20 दिसम्बर, 1985 तक यथा आशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 1956 की धारा 26(1) (डी) के साथ पठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(एफ) के तहत तैयार किये गये विनियमों के अनुसार महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करने से संबंध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का तीसरा तथा 17 जून, 1972 तक यथा आशोधित) की धारा 26 की उपधारा 26(1) की खण्ड (डी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस अधिनियम की धारा (2) के खण्ड (एफ) के तहत संस्थानों को मान्यता प्रदान करने हेतु वर्तमान में लागू विनियमों के अधिक्रमण में केन्द्र सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नवत विनियम तैयार किये हैंः–

संस्थाओं को मान्यता प्रदान करनाः

1) आयोग संबंधित विश्वविद्यालय के साथ परामर्श से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 की खण्ड (एफ) के तहत किसी संस्थान को मान्यता प्रदान कर सकता है, यदि

(i) यह केन्द्रीय अधिनियम, एक प्रांतीय अधिनियम अथवा किसी राज्य अधिनियम के तहत तैयार किये गये परिनियम तथा उसके तहत तैयार किये गये विनियमों के माध्यम से किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध संघटक निकाय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा सीधे चलाया

जा रहा महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान हो अथवा सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाया जा रहा हो।

(ii) यह केवल स्नातक उपाधि तक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि अथवा एक स्नातकोत्तर उपाधि के लिये शिक्षा प्रदान करता हो अथवा कम से कम एक शैक्षिक वर्ष की अवधि के लिये डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु शिक्षा प्रदान करता हो जिसमें प्रवेश के लिये न्यूनतम अर्हता स्नातक उपाधि है; और

(iii) यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21वां) के तहत पंजीकृत एक सोसायटी हो, अथवा वर्तमान में लागू किसी केन्द्रीय अथवा राज्य अधिनियम के तहत स्थापित अथवा निगमित एक निगमित निकाय हो, अथवा एक न्यास हो जिसके न्यासियों को विधिक शक्तियों तथा कर्तव्यों के साथ नियुक्त किया गया हो तथा उनमें यह निहित हों। बशर्ते कि इस खण्ड की अपेक्षाएं सरकार अथवा स्थानीय निकाय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे संस्थान पर लागू नहीं होगी।

(iv) ऐसे संस्थान के संबंध में जहां यह खंड (iii) के अंतर्गत नहीं आता हो, इसको चलाने वाले अथवा संचालन करने वाले पंजीकृत निकाय अथवा न्यास द्वारा एक बंधपत्र निष्पादित किया जाना चाहिये। जिसमें उसके द्वारा यह गारंटी दी जानी चाहिये कि आयोग द्वारा प्रदत्त किये जाने वाले अनुदान का उपयुक्त रूप से उपयोग किया जायेगा तथा संस्थान के प्रयोजनार्थ उपयुक्त रूप से उपयोग नहीं किये गये अनुदान के भाग को प्रतिदाय करने तथा आयोग को पंजीकृत सोसायटी अथवा न्यास के तुलनपत्र उपलब्ध कराने के साथ ही पंजीकृत सोसायटी अथवा न्यास द्वारा प्रबंधित अथवा चलाये जा रहे प्रत्येक संस्थान के वार्षिक लेखा भी प्रस्तुत करेगा।

उपर्युक्त विनियम 01.07.1974 से लागू होगा। यह अनुरोध किया जाता है कि संबद्ध महाविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 2(एफ) के तहत तैयार किए गये महाविद्यालय की सूची में सम्मिलित करने का प्रस्ताव भेजते हुए विश्वविद्यालय ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य भी भेजेगा जो यह दर्शाते हों कि महाविद्यालय/संस्थान, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21वां) के तहत पंजीकृत एक सोसायटी है, अथवा वर्तमान में प्रवृत केन्द्रीय अथवा राज्य अधिनियम के तहत निगमित एक कारपोरेट निकाय अथवा एक न्यास है।

जिसके न्यासियों की विधिक शक्तियों तथा कर्तव्यों के साथ नियुक्ति की जा रही है तथा यह शक्तियां उनमें निहित हैं।

प्रपत्र जिसमें महाविद्यालयों के ब्यौरे भेजे जाने है, उपर्युक्त को सम्मिलित करने के लिये उसमें पर्याप्त रूप से संशोधन किया गया है, और तत्संबंधी प्रति संदर्भ हेतु संलग्न है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(एफ) के तहत तैयार की गई सूची में पहले ही मौजूद महाविद्यालय जो उपर्युक्त दर्शाये गये विनियमों की खण्ड (1) (iv) के अंतर्गत आते हैं, के संबंध में यह सुझाव दिया जाता है कि ऐसे महाविद्यालयों/संस्थानों को परामर्श दिया जाए कि उपर्युक्त खंड के तहत दर्शायी गई पद्धति के माध्यम से इसका प्रबंधन करने वाली अथवा चलाने वाली पंजीकृत सोसायटी अथवा न्यास द्वारा एक बंधपत्र निष्पादित किया जाए। विश्वविद्यालय, संबंधित प्राचार्य तथा न्यास के संबंधित शासी निकाय के सचिव अथवा अध्यक्ष द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित बंधपत्र तथा निष्पादित किये गये पत्र के समर्थन में शासी निकाय के संकल्प की अनुप्रमाणित प्रति को नये विनियम लागू होने की तिथि से छह माह के भीतर अर्थात् 31. 12.1974 तक आयोग को भेजेगा। उपरोक्त खण्ड (iv) के तहत आने वाले नये संस्थान जो धारा 2(एफ) के तहत मान्यता प्राप्त करना चाहते हों, उनसे यह अनुरोध किया जाता है कि विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करे कि धारा 2 (एफ) के तहत मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक ऐसे महाविद्यालय प्ररूप के साथ उपर्युक्त उल्लिखित दस्तावेज अवश्य भेजें। पहले ही मान्यताप्राप्त महाविद्यालय, जो खण्ड (1) (iv) के अंतर्गत आते हैं, उनका ब्यौरा आयोग को शीघ्रातिशीघ्र भेजा जाये।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीय,

ह0/–

(आर.के. छाबड़ा)
सचिव

वि0अ0आ0 अधिनियम,1956 की धारा 2(एफ) और 12(बी) के तहत मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के लिए प्रारूप

1.	विश्वविद्यालय के साथ यथा संबंद्ध/मान्यताप्राप्त महाविद्यालय/संस्थान का पूरा नाम	
2.	प्राचार्य का नाम	
3.	स्थापना का वर्ष (डिग्री संस्थान के रूप में)	
4.	क्या महाविद्यालय/संस्थान को किसी सरकारी स्रोत से निधियां प्राप्त हो रहीं हैं अथवा यह एक स्व–वित्तपोषित महाविद्यालय है।	
5.	जिस विश्वविद्यालय से संबंद्ध है, उसका नाम	
6.	महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रदान की जा रही डिग्रियां	
7.	पढाये जा रहे विषय	
8.	पिछले वर्ष के 31 दिसम्बर को नामांकित छात्रों की कुल संख्या	
9.	पिछले वर्ष के 31 दिसम्बर को नियोजित शिक्षकों की संख्या	
10.	क्या कभी महाविद्यालय/संस्थान को स्थायी अथवा अस्थायी संबंद्धता/मान्यता प्रदान की गई है, कृपया संबंद्धता का वर्ष दर्शायें (इस संबंध में अधिसूचना की प्रति संलग्न करें)	
11.	अस्थायी संबंद्धता के मामले में, संबंद्धता कब तक प्रभावी है	
12.	क्या महाविद्यालय/संस्थान, वि0अ0आ0 द्वारा वि0अ0आ0 अधिनियम की धारा 2(एफ) के अंतर्गत संबंद्ध महाविद्यालयों की अनुमोदित सूची में शामिल करने लिए निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करता है	
13.	क्या महाविद्यालय/संस्थान को किसी निजी प्रबंधन अथवा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है अथवा यह एक विश्वविद्यालय महाविद्यालय है।	

14.	क्या महाविद्यालय/संस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21वां) के तहत पंजीकृत है अथवा यह केन्द्र/राज्य सरकार अधिनियम के तहत निगमित एक निकाय है अथवा एक न्यास है जिसके न्यासी की नियुक्ति की जाती है तथा उनके पास विधिक शक्तियां तथा कर्त्तव्य निहित हैं। यदि हां, तो संगम ज्ञापन तथा सोसायटी के पंजीकरण, न्यास विलेख, जो भी लागू हो, की प्रति संलग्न की जाये।	
15.	महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के संबंध में विहित विनियमों की खण्ड 1 (iv) के तहत आने वाले महाविद्यालयों के मामले में, कृपया बताएं की क्या क्षतिपूर्ति बंधपत्र एवं अन्य विहित दस्तावेज संलग्न किये गये हैं अथवा नहीं।	
16.	कोई अन्य टिप्पणियां	

महाविद्यालय के प्राचार्य के हस्ताक्षर सहित मोहर

संबंद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय के कुल सचिव के हस्ताक्षर सहित मोहर

नोटः

1.केवल उन महाविद्यालयों के संबंध में जानकारी प्रदान की जानी चाहिए जिन्होंने वास्तव में कार्य करना आरंभ कर दिया है तथा जो प्रथम उपाधि के लिए शिक्षण कार्य कर रहें हैं।

2. जिन महाविद्यालयों के संबंध में पूर्ण जानकारी प्रदान नहीं की गई है, उन्हें तब तक सूची में सम्मिलित नही किया जाएगा जब तक की वे जानकारी प्रदान नहीं करते हैं।

3. यह प्रारूप कुल सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

4. यदि संस्थान एक संबंद्ध संस्थान नहीं है बल्कि विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त है तो कृपया संगत अधिनियम तथा परिनियमों का सार भेजें जिनके तहत संस्थान को विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।

क्षतिपूर्ति बंधपत्र

(सोसायटी के लिए नमूना)

यह बंधपत्र––––––––––––तिथि––––––––––माह––––––––––––वर्ष(200–––)को ––––––––––––(स्थान)में ––––––––––––के बीच , जो कि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी है जो अब ––––––––––––––––के तहत् शासित है तथा जिसका मुख्यालय –––––––––––––––– में स्थित है, जिसे इसके पश्चात् संघ कहा जाएगा (जिस शब्द में जब तक की संदर्भ अथवा अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तरवर्ती, समनुदेशी तथा ऐसे सभी व्यक्ति शामिल होंगे जिनका इस समय के दौरान इसकी परिसंपत्तियों तथा कार्य पर नियंत्रण होगा।) प्रथम पक्ष है, तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित और गठित एक निगमित निकाय है जिसे इसके पश्चात् 'आयोग' कहा जाएगा (जिस शब्द में जब तक की संदर्भ अथवा अर्थ के प्रतिकूल न हो, दूसरे पक्ष के उत्तरवर्ती तथा समनुदेशी शामिल होंगे।)

जबकि संघ द्वारा स्वामी के रूप में ––––––––––––––––में एक महाविद्यालय चलाया जा रहा है जिसका नाम ––––––––––––––––––––––– है जिसे इसके पश्चात् उक्त महाविद्यालय के नाम से जाना जाएगा।

और जबकि उक्त महाविद्यालय ––––––––––––––––––विश्वविद्यालय से संबंद्ध है जो कि––––––––––– अधिनियम के तहत गठित है, जिसे इसके पश्चात् उक्त विश्वविद्यालय कहा जाएगा।

और जबकि आयोग ने अपने उद्धेश्यों तथा कार्यकरण का निर्वहन करते हुए उक्त महाविद्यालय को निधियां संस्वीकृत की हैं।

और जबकि आयोग द्वारा उक्त महाविद्यालय को प्रदत्त किये जाने वाले अनुदान के उपयोग को विनियमित तथा नियंत्रित करने की निबंधन और शर्तों के रूप में संघ को इस क्षतिपूर्ति बंधपत्र को निष्पादित करना अपेक्षित किया गया है तथा वह इसके लिए सहमत है।

अब यह विलेख साक्षी है तथा एतद्द्वारा दोनों पक्ष निम्नानुसार सहमत हैं तथा घोषणा करते हैं किः

1. संघ एतद्वारा आयोग को गारंटी देता है तथा प्रसंविदा करता है कि आयोग द्वारा उक्त महाविद्यालय को प्रदान की जाने वाली अनुदान की प्रत्येक राशि का उक्त महाविद्यालय द्वारा उक्त महाविद्यालय के लाभ तथा प्रयोजनार्थ तथा अनुदान की निबंधन और शर्तों के अनुसार उपयोग किया जाएगा और किसी अन्य प्रयोजनार्थ अथवा संघ द्वारा चलाये जा रहे किसी अन्य महाविद्यालय के लिए अनुदान का उपयोग नहीं किया जाएगा और संघ द्वारा उक्त अनुदान के किसी भाग को उक्त महाविद्यालय के अलावा किसी अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग किये जाने पर अथवा संघ द्वारा चलाये जा रहे किसी अन्य महाविद्यालय के प्रयोजनार्थ उपयोग किये जाने पर संघ द्वारा आयोग के मांगे जाने पर बिना डेमरेज के प्रतिदाय किया जाएगा। अनुदान के दुरूपयोग तथा संघ द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि की प्रमात्रा के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

2. संघ आगे आयोग के साथ प्रसंविदा करता है कि संघ प्रत्येक वर्ष आयोग को संघ का तुलन पत्र तथा उक्त संघ द्वारा चलाये जा रहे उक्त महाविद्यालय के लेखापरीक्षित लेखे उपलब्ध करायेगा। उक्त तुलन पत्र तथा वार्षिक लेखा को संघ द्वारा पारित किये जाने के दो सप्ताह के भीतर तथा किसी भी स्थिति में संघ के वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व आयोग को भेजा जायेगा ।

3. संघ एतद्द्वारा आयोग को उक्त आयोग द्वारा उक्त महाविद्यालय को उपलब्ध कराये गये अनुदान अथवा उसके किसी भाग के अनुपयुक्त अथवा दुरुपयोग अथवा उक्त महाविद्यालय द्वारा उक्त अनुदान के उपयोग न करने के कारण हुई किसी प्रकार की हानि के लिए क्षतिपूर्ति करने तथा क्षतिपूरित रखने के लिए सहमत है।

इसके साक्षी स्वरूप–––––––––––––––– सोसायटी के शासी निकाय द्वारा दिनांक––––––––– को पारित ––––––––– संकल्प के अनुसरण में सोसायटी की ओर से ––––––––––––––ने उपरोक्त वर्णित दिन माह तथा वर्ष को अपने हस्ताक्षर किये तथा मोहर लगाई।

इस बंध पत्र को ———————दिन———————माह—————————वर्ष को ———————————— के शासी निकाय़————————————द्वारा पारित दिनांक——————————के संकल्प संख्या (प्रति संलग्न) के अनुसरण में निष्पादित किया गया है।

नामः———————————————————

पदनामः—————————————————

मोहरः———————————————————

<u>इसके साक्षी स्वरूप</u>

1.———————————

———————————

2.———————————

———————————

———————————————————————————————————————

(केवल कार्यालय उपयोग के लिए)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से स्वीकार किया गया

नामः———————————————————

पदनामः—————————————————

<u>इसके साक्षी स्वरूप</u>

1.

2.

क्षतिपूर्ति बंधपत्र

(न्यास के लिए नमूना)

यह बंधपत्र ––––––दिन––––––माह–––वर्ष(200––) को ––––––––––(स्थान) में ––––––––के बीच, जो कि –––––––––– सार्वजनिक न्यास अधिनियम के तहत एक पंजीकृत ––––––––न्यास है जिसका पंजीकरण संख्या–––––– दिनांक–––––––जो इसके न्यासी बोर्ड द्वारा जिसमें श्रीमती/श्री ––(1)––––(2)––––(3)––––सम्मिलित है, जिन्हें इसके पश्चात् 'न्यास' कहा जाएगा (जिस शब्द में जब तक की संदर्भ अथवा अर्थ के प्रतिकूल न हो, वर्तमान में न्यास तथा उक्त न्यास तथा न्यास के न्यासी उनके उत्तरजीवी, निष्पादकों के वारिस तथा अंतिम उत्तरजीवी के प्रशासक उनके अथवा उसके समनुदेशी शामिल होंगे) जो प्रथम पक्ष है, तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का तृतीय अधिनियम) के तहत स्थापित और गठित एक निगमित निकाय है जिसे इसके पश्चात् 'आयोग' कहा जाएगा (जिस शब्द में जब तक की संदर्भ अथवा अर्थ के प्रतिकूल न हो, दूसरे पक्ष के उत्तरवर्ती तथा समनुदेशी शामिल होंगे।)

जबकि न्यास द्वारा स्वामी के रूप में––––––––––––––––में एक महाविद्यालय चलाया जा रहा है जिसका नाम ––––––––––––––––––––––– है जिसे इसके पश्चात् उक्त महाविद्यालय के नाम से जाना जाएगा।

और जबकि उक्त महाविद्यालय ––––––––––––––––––विश्वविद्यालय से संबंद्ध है जो कि–––––––––– अधिनियम के तहत गठित है, जिसे इसके पश्चात् उक्त विश्वविद्यालय कहा जाएगा।

और जबकि आयोग ने अपने उद्धेश्यों तथा कार्यकरण का निर्वहन करते हुए उक्त महाविद्यालय को निधियां संस्वीकृत की हैं।

और जबकि आयोग द्वारा उक्त महाविद्यालय को प्रदत्त किये जाने वाले अनुदान के उपयोग को विनियमित तथा नियंत्रित करने की निबंधन और शर्तों के रूप में संघ को इस क्षतिपूर्ति बंधपत्र को निष्पादित करना अपेक्षित किया गया है तथा वह इसके लिए सहमत है।

अब यह विलेख साक्षी है तथा एतद्द्वारा दोनों पक्ष निम्नानुसार सहमत हैं तथा घोषणा करते हैं किः

1. न्यास एतद्द्वारा आयोग को गारंटी देता है तथा प्रसंविदा करता है कि आयोग द्वारा उक्त महाविद्यालय को प्रदान की जाने वाली अनुदान की प्रत्येक राशि का उक्त महाविद्यालय द्वारा उक्त महाविद्यालय के लाभ तथा प्रयोजनार्थ तथा अनुदान की निबंधन और शर्तों के अनुसार उपयोग किया जाएगा और किसी अन्य प्रयोजनार्थ अथवा न्यास द्वारा चलाये जा रहे किसी अन्य महाविद्यालय के लिए अनुदान का उपयोग नहीं किया जाएगा और न्यास द्वारा उक्त अनुदान के किसी भाग को उक्त महाविद्यालय के अलावा किसी अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग किये जाने पर अथवा न्यास द्वारा चलाये जा रहे किसी अन्य महाविद्यालय के प्रयोजनार्थ उपयोग किये जाने पर उक्त न्यास द्वारा आयोग के मांगे जाने पर बिना डेमरेज के प्रतिदाय किया जाएगा। अनुदान के दुरूपयोग तथा न्यास द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि की प्रमात्रा के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।
2. न्यास आगे आयोग के साथ प्रसंविदा करता है कि न्यास प्रत्येक वर्ष आयोग को न्यास का तुलन पत्र तथा उक्त न्यास द्वारा चलाये जा रहे उक्त महाविद्यालय के लेखापरीक्षित लेखे उपलब्ध करायेगा। उक्त तुलन पत्र तथा वार्षिक लेखा को न्यास द्वारा पारित किये जाने के दो सप्ताह के भीतर तथा किसी भी स्थिति में संघ के वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व आयोग को भेजा जायेगा ।
3. न्यास एतद्द्वारा आयोग को उक्त आयोग द्वारा उक्त महाविद्यालय को उपलब्ध कराये गये अनुदान अथवा उसके किसी भाग के अनुपयुक्त अथवा दुरुपयोग अथवा उक्त महाविद्यालय द्वारा उक्त अनुदान के उपयोग न करने के कारण हुई किसी प्रकार की हानि के लिए क्षतिपूर्ति करने तथा क्षतिपूरित रखने के लिए सहमत है।

इसके साक्षी स्वरूप न्यासी बोर्ड की ओर से द्वारा दिनांक————————— को पारित ———————— संकल्प के अनुसरण में न्यासी बोर्ड के प्रबंध न्यासियों ——————————————ने उपरोक्त वर्णित दिन माह तथा वर्ष को अपने हस्ताक्षर किये तथा मोहर लगाई।

इस बंधपत्र को ——————————————दिन————————माह——————————————— दो हजार__________________ को ———————————— के न्यासी बोर्ड द्वारा पारित

दिनांक–––––––––के संकल्प संख्या (प्रति संलग्न) के अनुसरण में निष्पादित किया गया है।

उक्त न्यास के न्यासी होने के कारण दिये गये नाम के समक्ष हस्ताक्षर किये गये तथा परिदत्त किया गया

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

––

i) निम्नवत की उपस्थिति में उक्त न्यास द्वारा तथा उसकी ओर से विधिवत् रूप से प्राधिकृत।

ii) न्यास की मोहर।

(1)

(2)

––

(केवल कार्यालय उपयोग के लिए)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से स्वीकार किया गया

नामः––––––––––––––––

पदनामः––––––––––––––

<u>निम्नवत की उपस्थिति में हस्ताक्षरितः</u>

1.

2.

भारत के राजपत्र के भाग–II के खण्ड–3, उप–खण्ड(1) में प्रकाशित किया जाये

संख्याः एफ.9–59/74–यू2(बी) नई दिल्लीः 24 जून,1975

भारत सरकार
शिक्षा और सामाजिक कल्याण मंत्रालय

अधिसूचनाः

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का तीसरा) की धारा 12–बी के साथ पठित धारा 25 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार निम्नवत नियम तैयार करता है, नामतः

1. लघु शीर्षक, विनियोग एवं प्रारंभ

(1) इन नियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (अनुदान प्राप्त करने के लिए संस्थानों की पात्रता नियम, 1975) कहा जाएगा।

(2) यह नियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का तीसरा) के प्रवर्तन की तिथि अर्थात् 17 जून, 1972 अथवा उसके पश्चात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का तीसरा) की धारा 2 की खण्ड (एफ) के तहत आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त प्रत्येक संस्थान पर लागू होंगे।
(3) वे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होंगे।

2. अनुदान हेतु पात्रताः–

कोई भी संस्थान जिस पर यह नियम लागू होते हों वह केन्द्र सरकार, आयोग अथवा किसी ऐसे संगठन से अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा जिसे केन्द्र सरकार से कोई निधियां प्राप्त होती हों, जब तक कि आयोग इस बात से संतुष्ट न हो कि संस्थानः

(i) स्नातक उपाधि अथवा स्नातकोत्तर उपाधि अथवा केवल स्नातकोत्तर उपाधि हेतु शिक्षा प्रदान करता हो अथवा डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए शिक्षा प्रदान करता हो जिसकी अवधि एक शिक्षा वर्ष से कम न हो जिसमें प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता स्नातक उपाधि है।

(ii) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21 वां) के तहत पंजीकृत एक सोसायटी हो अथवा प्रवृत किसी केन्द्रीय अधिनियम, किसी प्रांतीय अधिनियम अथवा किसी राज्य अधिनियम के तहत स्थापित अथवा निगमित कोई निगमित निकाय हो अथवा कोई न्यास हो जिसके न्यासियों को विधिक शक्तियों तथा दायित्वों के साथ नियुक्त किया गया हो तथा उनमें वे निहित हों ।

(iii) विश्वविद्यालय से स्थायी रूप से संबद्ध हो जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का तीसरा) की धारा 12–बी के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित किया गया हो।

ह0/–

(के0एन0 चन्ना)

सचिव, भारत सरकार

प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि (महाविद्यालय का नाम और पता), (संबंद्ध करने वाले विश्वविद्यालय का नाम और पता) से संबंद्ध है तथा वह राज्य/संबंद्ध करने वाले विश्वविद्यालय के शुल्क विनियमों अथवा किसी भी प्रवृत विधि द्वारा यथा निर्धारित शुल्क प्रभारित कर रहा है (जो आवश्यक नहीं हों उसे काट दें)।

आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी मानदण्डों/विनियमों/दिशानिर्देशों/अनुदेशों/अधिसूचनाओं का पालन कर रहा है/करेगा तथा वह राज्य/संबंद्ध करने वाले विश्वविद्यालय के शुल्क विनियमों अथवा प्रवृत विधि द्वारा यथा निर्धारित शुल्क से अधिक अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क प्रभारित नहीं कर रहा है/नहीं करेगा।

संबद्ध करने वाले विश्वविद्यालय के कुल–सचिव द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

प्राचार्य के हस्ताक्षर तथा मोहर

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के तहत महाविद्यालयों को सम्मिलित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजः–

1. आयोग द्वारा विहित नमूने पर प्रबंधक के रूप में महाविद्यालय को चलाने वाले किसी पंजीकृत सोसायटी अथवा न्यास द्वारा क्षतिपूर्ति बंधपत्र निष्पादित किया जाना चाहिये।
2. प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित और स्वयं कुल सचिव द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित विहित प्ररूप में महाविद्यालय का ब्यौरा।
3. महाविद्यालय को चलाने वाले किसी पंजीकृत सोसायटी अथवा न्यास द्वारा संगम ज्ञापन की हिन्दी/अंग्रेजी में एक अनुप्रमाणित प्रति।
4. महाविद्यालय को चलाने वाले किसी पंजीकृत सोसायटी अथवा न्यास के पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित प्रति।
5. डिग्री कालेज के रूप में महाविद्यालय की स्थापना की तिथि।
6. महाविद्यालय को प्रदत्त संबद्धता के संबंध में अधिसूचना की नवीनतम छायाप्रति।
7. राज्य के कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा इस बाबत एक प्रमाणपत्र कि क्षतिपूर्ति बंधपत्र को निष्पादित करने हेतु उपयोग की गई स्टाम्प ठीक है।
8. शासी निकाय, न्यासी बोर्ड द्वारा संकल्प जिसमें बंधपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत किया गया हो।
9. दस्तावेजों की छायाप्रतियां प्राचार्य द्वारा अनुप्रमाणित होनी चाहिये।

———————————————————————————————